Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 12-05-2005

Participants : Paswan Shri Ram Vilas

>

Title: Regarding status of implementation of recommendations contained in the 1st Report of Standing Committee on Chemicals & Fertilizers. – Laid.

12.03 ¼ hrs.

(ii) STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE FIRST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS & FERTILISERS PERTAINING TO THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य *सभा पटल पर रखता हूं -

माननीय महोदय, लोक सभा के निदेश पर मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की वर्ा 2004-05 की अनुदान मांगों की जांच की तथा अपना पहले प्रतिवेदन लोक सभा और राज्य सभा में 20 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन में 21 सिफारिशें थीं। इन सिफारिशों का सारांश निम्नानुसार हैः-

(i) गैर योजना व्यय में मितव्ययिता बरतने हेतु वित्त मंत्रालय के निर्देशों का अनुसरण करना।

(ii) सिपेट के ऋण समझौते को अंतिम रूप देना तथा मामले को आर्थिक कार्य और विधायी कार्य विभाग के साथ उठाना।

(iii) अपशिट प्रबंधन तथा प्लास्टिक रिसायक्लिंग गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना तथा इन गतिविधियों के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि।

(iv) सिपेट को लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए ताकि संगठन यथाशीघ्र आत्मनिर्भर बन सके।

(v) केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत सहायता के साथ सिपेट के नए विस्तार केंद्र चिन्हित स्थानों पर खोले जा सकते हैं।

(vi) असम गैस क्रैकर परियोजना का क्रियान्वयन।

(vii) अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं तथा छान-बीन के आवेदनों और भोपाल गैस पीड़ितों हेतु सुनवायी के मामलों का निपटारा।

(viii) पूर्व यूनियन कार्बाइड संयंत्र में तथा आसपास के इलाकों में से वैाले अपशिटों को हटाना।

(ix) रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों की अधिसूचना।

(x) भेाजों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु बजट आबंटन।

(xi) मेगा केमिकल इंडस्ट्रीयल इस्टेट (एमसीआईइ) की स्थापना।

(xii) नयी औाध नीति की घोाणा।

(xiii) विनियंत्रित औाधों के मूल्य।

(xiv) हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइडस लिमिटेड (एच आई एल) का वित्तीय पुनरूद्धार।

(xv) एच आई एल में गतिविधियों का आगे और विविधिकरण।

---

* Statement was laid on the Table.(Placed in Library, See No. LT 2254/05)

(xvi) एच आई एल के मेंकोजेब संयंत्र का प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन।

(xvii) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट कामगार संघ द्वारा औद्योगिक सहकारी समिति के गठन तथा उपक्रम को चलाने का प्रस्ताव।

(xviii) बीसीपीएल की संचित हानियां।

(xix) आई डी पी एल इकाइयों का पुनरूद्धार।

(xx) एच ओ सी एल का कार्यनिपादन।

(xxi) एच ए एल का पुनरूद्धार।

समिति की सभी सिफारिशों पर रसायन और पैट्रोरसायन विभाग में विचार किया गया और उन पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। ि वभाग ने क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के पूर्ण प्रयोग तथा मितव्ययिता उपायों के अनुसरण हेतु निर्देश जारी किए हैं। सिपेट को ओपेक ऋण के मामले में, वित्त मंत्रालय से ऋण सहमति मुद्दे को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया है। सिपेट को प्लास्टिक अपशिट रिसायक्लिंग में अतिरिक्त प्रयास करने को कहा गया है तथा स्वयं को आत्म-निर्भर बनाने हेतु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने का सुझाव दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों और सिपेट को राज्यों में नए केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। अनुपातिक आधार पर मुआवजा राशि ि वतरित करने की प्रक्रिया तेज करने के बारे में अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। तथापि, यह स्पट किया जाता है कि यह संवितरण कल्याण आयुक्त द्वारा किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायिक अधिकारी उनके अधीन हैं और इस प्र ाक्रिया को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मानीटर किया जा रहा है। रासायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 को 1 जुलाई, 2005 से लागू करने का निर्णय किया गया है। विधि मंत्रालय नियमों और अधिसूचनाओं को पूनरीक्षा कर रहा है, जैसाकि अधिनियम को सुकर बनाने के लिए अपेक्षित है। रसयन और पेटोरसायन विभाग फार्मा सेक्टर में आर एंड डी सुविधाओं के लिए और अधिक आबंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। कन्सलटेंट जो विशाल रासायनिक औद्योगिक इस्टेट स्थापित करने से संबंधित संभावना रिपोर्ट तैयार कर रहा है ने अवधारणा-पत्र, इन्सेप्शन रिपोर्ट, मार्केट अध्ययन रिपोर्ट और स्थल अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में ऐसे काम्पलैक्स बनाने की उपयुक्तता के बारे में प्रस्ताव बना रही है। यह विभाग नयी औाध नीति के मामले में विधायी विभाग के साथ कार्रवाई कर रहा है। एन पी पी ए गैर अनुसूचीबद्ध द वाइयों की कीमतों को मानीटर करना भी आरंभ कर दिया है। एच आई एल के संबंध में वित्तीय पुनरूद्धार और अन्यथा बी आई एफ आर की कार्र

वाई पर निर्भर करेगा। एच आई एल अन्य क्षेत्रों में फैलाव की संभावनाओं का पता लगा रहा है। औद्योगिक कोऑपरेटिव सोसायटी बनाने के लिए और उपक्रम चलाने के लिए स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट वर्कस यूनियन का प्रस्ताव विचाराधीन है। घाटे को 2008-09 तक पूरी तरह समाप्त करने का समिति की सिफारिशों से बीसीएल को अवगत कराया गया है। आई डी पी एल के पुनर्वास के लिए तकनीकी वित्तीय से संबंधित विशेाज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2005 को प्राप्त हुई। विशेाज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशों की जांच की जा रही है। जहां तक एच ओ सी एल का संबंध है, कंपनी ने एक पुनर्वास पैकेज तैयार किया है जो कि सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने विनिवेश से जुड़े एक पैकेज का पहले ही अनुमोदन कर दिया है। हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइडस लिमिटेड (एच आई एल) की संशोधित पुनर्वास योजना वी आर पी एस ई को भेज दी गयी है, जिसने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक आयोजित की है। विभाग की कार्रवाई नोट (ए टी एन) न वम्बर, 2004 में स्थायी समिति को भेज दी गयी थी। समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में निम्नलिखित से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों को छोड़कर सभी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया गया हैः-

i) असम गैस क्रैकर परियोजना,

ii) पूर्व यूनियन कार्बाइड संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में विद्यमान वौले अपशिट पदार्थो को हटाना,

iii) एच आई एल के मैंकोजेब संयंत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन।

असम गैस क्रैकर परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि गेल इस परियोजना के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाएगा। मामला सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के विचाराधीन है।

यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश प्रदूाण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से वौले पदार्थो को हटाने संबंधी कार्य करेगा और उनके द्वारा इस संबंध में एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मैंकोजबे के कार्यनिपादन पैरामीटरों में सुधार संबंधी कार्य परामर्शदाता को सौंपा गया था जिनके द्वारा वर्तमान में संयंत्र में सुधार सुझाए जाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। कोचीन एकक के मैंकोजेब संयंत्र के संबंध में और प्रौद्योगिकी का उन्नयन न किए जाने के बारे में जिम्मेवारी निर्धारण के संबंध में एच आई एल द्वारा वरिठ स्तर के अधिकारियों की समिति के माध्यम से विस्तृत अध्ययन/जांच कार्य किया जा रहा है।